Date
15/04/2020

Subject – समकालीन भारत और शिक्षा
UNIT – 3rd
Topic – कोठारी कमीशन (1964-66)

B.Ed. 1st Year
Period – 1st

आयोग का गठन

भारत सरकार ने 14 जुलाई, 1964 ई० को अपने 'प्रस्ताव' में नवीन शिक्षा-आयोग की नियुक्ति के कारणों का स्पष्टीकरण किया और उसी 'प्रस्ताव' द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के प्रो० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' की नियुक्ति की घोषणा की। आयोग का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1964 ई० को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि आयोग शिक्षा के समस्त पहलुओं - प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालयी व तकनीकी शिक्षा की जाँच कर सुधार के सुझाव दें।

आयोग के प्रमुख सदस्य

अध्यक्ष – प्रोफेसर डी० एस० कोठारी, अध्यक्ष, U.G.C. New Delhi
सचिव – श्री जे० पी० नायक, अध्यक्ष शैक्षिक योजना, गोखले राजनीतिक संस्थान (पूना)
संयुक्त सचिव – श्री जे० एफ० मैकडुगल, उप संचालक, विद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग, UNESCO, पेरिस

इसके अतिरिक्त अन्य 14 सदस्य भी थे जिनमें भारतीय एवं विदेशी शिक्षाशास्त्रियों को रखा गया था। अतः यह 17 सदस्यी आयोग था।

आयोग की जाँच का क्षेत्र

आयोग ने स्वयं अपनी नियुक्ति का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया – "यह आयोग सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमानों एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं पर विचार करने और अपनी सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया है।"

(गठित)

15-04-2020 12:19

आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने 2 अक्टूबर, 1964 को अपना कार्य प्रारम्भ किया आयोग ने सभी केन्द्रशासित क्षेत्रों का दौरा करते हुए अनेकों विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व विद्यालयों का निरीक्षण किया और शिक्षाशास्त्रियों, शिक्षा प्रशासकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से विचार विनिमय किया। आयोग ने शिक्षा के विषय में जन-मत जानने के लिए लिखित साक्ष्य, टिप्पणी आमन्त्रण एवं प्रश्नावली से उत्तर प्राप्त किए। आयोग ने 12 कार्य टोलियाँ, 7 अध्ययन समूह नियुक्त किए। 15 लाख रुपये से अधिक धनराशि व दो वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री० एम०सी० दागला को आयोग प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

आयोग के प्रतिवेदन का प्रारूप

आयोग के प्रतिवेदन का नाम 'शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति' रखा गया।

प्रतिवेदन को तीन भागों में बाँटा गया -

(1) प्रथम भाग :- प्रथम भाग में 6 अध्यायों के अन्तर्गत सभी स्तरों की शिक्षा व्यवस्था के पुर्नसंगठन का विवेचन है। इस भाग में राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा को पुर्नव्यवस्थित, शिक्षकों की सम्पूर्ति, विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी नीतियों का विवेचन किया गया है।

(2) द्वितीय भाग :- इस भाग में 7 से 17 तक 11 अध्याय हैं जिनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं वर्गों का पृथक-पृथक विवेचन है, (7-10) स्कूली शिक्षा, (11 से 13) उच्च शिक्षा (14-15) कृषि शिक्षा, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा, (16) वैज्ञानिक शिक्षा, (17) प्रौढ़ शिक्षा के विषय में विवेचन किया गया।

(3) तृतीय भाग :- इस भाग में 18 व 19 दो अध्याय हैं, अध्याय 18 में शैक्षिक योजना और प्रशासन तथा अध्याय 19 में शैक्षिक वित्त के विषय में विवेचन किया गया है।

15-04-2020 12:20

आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव

1. **शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य** :- शिक्षा आयोग ने कहा कि शिक्षा का विकास इस ढंग से किया जाना चाहिए कि इससे राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, आधुनिकीकरण की गति इत्यादि का विकास हो।

2. **शिक्षा की संरचना** :- शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढाँचे में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन की आवश्यकता है। आयोग ने 1 से 3 वर्ष तक की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, दस वर्ष की सामान्य शिक्षा, दो वर्ष की उच्चतर मा॰ शिक्षा, प्रथम उपाधि के लिए तीन वर्षीय, उच्च शिक्षा का सुझाव दिया।

3. **अध्यापकों की दशा** :- आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक, व व्यवसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। इसके लिए, वेतनमान संशोधन, योग्यता, पदोन्नति, अध्यापक कल्याण कार्यक्रम, अध्यापकों को विशेष भत्ते इत्यादि का सुझाव दिया।

4. **अध्यापक प्रशिक्षण** :- शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत किया जाना चाहिए। अध्यापकों को अध्यापन सम्बन्धी एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाए।

5. **नामांकन** :- आयोग ने प्रत्येक बालक के लिए कम से कम 7 वर्ष की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने, तथा सामूहिक निरक्षरता जैसे अभियान प्रारम्भ करने के सुझाव दिए।

6. **शैक्षिक समानता** :- न्याय, समानता, व स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र के मूल आधार है अतः आयोग ने कहा जाति व धर्म के भेदभाव को समाप्त कर छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाये, एवं विकलांग व आदिवासी बालकों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएं।

Continue.....

Mridhu
15/04/2020

15-04-2020 12:21